परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/2021/**5813**, दिनांक **28.09.2022** के अनुसार **जुलाई 2021 से जून 2022** तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत **8256** रहा है। इस प्रकार किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण के संबंध में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6321 (1960=100) के आधार आंकड़ों के ऊपर **जुलाई 2021 से जून 2022** की अवधि तक **1935 पाईंट (8256–6321)** औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। उक्त के परिणामस्वरूप किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन के लिये परिवर्तनशील महँगाई भत्ता 1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति हजार बीड़ी के मान से 19.35 रूपये परिवर्तनशील महँगाई भत्ता **दिनांक 01.10.2022 से 30.09.2023** तक देय है।

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–4/2016/16 दिनांक 06.10.2018 के अंतर्गत किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है। अतः बीड़ी उद्योग में नियोजित श्रमिकों को **अनुसूची–'फ'** अनुसार परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता **दिनांक 01.10.2022 से 30.09.2023** तक देय है।

(अमृत कुमार खलखो)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची "फ"

तम्बाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) विनिर्माण में नियोजन

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित मूल वेतन दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
1	2	3	4	5
1.	**बीड़ी रोलर** (1000 बीड़ी बनाने के लिए)	रू0 96.24	19.35	रू0 115.59 प्रति हजार किंतु यदि श्रमिक का किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेतन का योग रूपये 647.30 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना की परिशिष्ट में बताई गई शर्तो के अनुसार कम से कम रूपये 647.30 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा।
2.	**रेलाई श्रमिक**			
अ	**बीड़ी के कट्टों पर झिल्ली लगाना**			
1	लेबल चिपकाने तथा पुड़ों को बनाने या चिपकाने संबंधी कार्य	रू0 53.18 प्रति 1000 कट्टों पर	रू. 9.68 (एक पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार)	**62.86**
2	यदि कट्टे पर दोनों ओर लेबल लगाया जाता है।	रू0 56.35 प्रति 1000 कट्टों पर	रू. 9.68 (एक पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार)	**66.03**
ब.	**झिल्ली एवं लेबल लगाने संबंधी कार्य**			
1.	झिल्ली लेबल लगाना	रू0 48.06 प्रति 1000 कट्टों पर	रू. 9.68 (1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार)	**57.74**
2.	झिल्ली लगाना	रू0 35.20 प्रति 1000 कट्टों पर	रू. 7.26 (1.5 पैसे प्रति बिन्दु प्रति चार हजार)	**42.46**
3.	लेबल लगाना	रू0 13.10 प्रति 1000 कट्टों पर	रू. 2.42 (1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति आठ हजार)	**15.52**
4.	पुड़ा बनाना या चिपकाना	रू0 13.44 प्रति 1000 कट्टों पर	रू. 2.42 (1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति आठ हजार)	**15.86**
स.	**एक हजार कट्टों पर जबकि 25 बीड़ियों का कट्टा हो**			
1.	आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो	रू0 198.88 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर	रू. 38.70 (2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर)	**237.58**
2.	झिल्ली आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो	रू0 216.02 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर	रू. 38.70 (2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर)	**254.72**
3.	झिल्ली तथा नक्शी झिल्ली लगाने का कार्य हो	रू0 216.02 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर	रू. 38.70 (2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर)	**254.72**

नोट :–

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों जैसे, बीड़ी छाँटने तथा जाँच करने वाले, तंबाखू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने वाला, भट्‌टी वाला, रसोईया, ड्राईवर (भारी वाहन), हल्का वाहन, एकाऊंटेंट, मुनीम, कैशियर, गोडाउन कीपर, स्टोर कीपर, टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क, भृत्य, चौकीदार के वेतन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत् समय–समय पर निर्धारित कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन के अनुसार नियमित होंगे।

इस प्रयोजन के लिए उपर्युक्त कर्मकारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा।

1. उच्च कुशल – ड्राईवर (चालक) (भारी वाहन) एकाउंटेट, डाटा एन्ट्री आपरेटर (कम्प्यूटर आपरेटर), मुनीम, कैशियर, हेड क्लर्क।
2. कुशल – स्टोर कीपर, ड्राईवर (हल्का वाहन), टाईपिस्ट, गोडाउन कीपर, क्लर्क, बिलमेन ।
3. अर्ध कुशल – बीड़ी छॉटने या जांच करने वाले, भट्‌टी वाला।
4. अकुशल – ट्रक से माल चढ़ाने व उतारने वाले या बीड़ीयों के पुड़ों के कार्य में लगा श्रमिक, भृत्य, श्रमिक।

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन की दरें 45 अधिसूचित सामान्य नियोजनों के लिए शासन द्वारा घोषित दरें ही प्रभावशील होंगी।

(अमृत कुमार खलखो)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

EFFECTIVE WAGES OF BEEDI ROLLERS

Beedi Rolles (For Rolling of 1000 Beedies)

Effective from 01.10.2022 To 30.09.2023

V.D.A. Revisable Annualy with Effect from 01.10.2022

No.	Perticular	Rs./P
1	Basic Wages	96.24
2	Variable Dearness Allowance	19.35
3	Leave With Salary (@ 5% of Total Wages)	5.78
4	Tatal Wages	121.37
5	Bonus (@8.33% of Total Wages	10.11
6	P.F. Contribution of Employer @ 10% of Total Wages	12.14
7	Total	143.62
8	Less P.F.Contribution of Employer (@10% of Total Wages)	12.14
9	Less P.F. Contribution of Employee (@10% of Total Wages)	12.14
10	Net Payable to Beedi Roller (7-(8+9)	119.34

(अमृत कुमार खलखो)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

स्पष्टीकरण

1. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वो किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में परिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित हैं।

2. परिवर्तनशील महँगाई भत्ता उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ 4 में लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, 6321 (1960=100) पर आधारित है। 6321 सूचकांक के ऊपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची–'फ' के स्तम्भ क्रमांक 4 में वृद्धि दिनांक 1 अक्टूबर से की जावेगी और स्तम्भ 4 में परिवर्तनशील महँगाई भत्ते में हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील महँगाई भत्ता मानी जावेगी। 1 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की वृद्धि की गणना गत जुलाई से जून तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी जिसकी घोषणा अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजपत्र में समय–समय पर प्रकाशित की जावेगी।

3. निर्धारित मासिक वेतन केलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा।

4. जहां नियोजन प्रति सप्ताह 5600 बीड़ी बनाने के लिये लगने वाला कच्चा माल तंबाखू, तेंदूपत्ता, धागा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीड़ी के लिए देय वेतन तथा विशेष महँगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारन्टेड वेज कहा जाएगा, प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

5. गारंटी वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गए कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई बीड़ी का जो वेतन अर्जित करेगा, वह भी सम्मिलित होगा।

6. यदि कर्मचारी अन्य इच्छा से किसी भी कारणवश् किसी दिन गारन्टेड वेज प्राप्त करने की मात्रा से भी कम वेतन अर्जित करता है तो कर्मचारी गारन्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

7. जो कर्मचारी दिये गए कच्चे माल की मात्रा यद्यपि वह 5600 बीड़ियाँ सप्ताह में बनाने के लिए पर्याप्त हो कि पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है तो वह गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

8. आग, विपत्ति महामारी, असैनिक क्षौभ या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है, यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता तो कर्मचारी वेज प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

(अमृत कुमार खलखो)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर